

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कार्यक्रम निदेशक,
पी0एम0यू0 / पी0आई0यू0,
सिडकुल बिल्डिंग, आई0टी0 पार्क,
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1,

देहरादून :दिनांक 04 जनवरी, 2017

विषय:- विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट(यू0डी0आर0पी0) के अन्तर्गत संचालित ओ0डी0सी0एच0 योजना में भवन निर्माण पूर्ण न करने वाले अथवा मानको के अनुसार पूर्ण न करने वाले लाभार्थियों को दी गयी धनराशि को Waive off किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 222/PMU/UDRP/2016, दिनांक 24.10.2016 तथा पत्र संख्या: 225/UDRP/2016, दिनांक 27.10.2016 तथा पत्र संख्या:-195/पी0आई0यू0 हाउसिंग/दिनांक 31.12.2016 का क्रमशः संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल की बैठक दिनांक 21.12.2016 में पारित आदेश में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ओ0डी0सी0एच0 योजना से लाभान्वित परिवारों को आवासीय भवन उपलब्ध कराये जाने की योजना के अन्तर्गत परियोजना की समाप्ति हेतु निर्धारित तिथि तक भवन निर्माण पूर्ण न करने वाले अथवा मानक के अनुसार पूर्ण न करने वाले लाभार्थियों की धनराशि इस प्रतिबन्ध के अधीन Waive off की जाय कि उक्त लाभार्थियों को भवन निर्माण हेतु भविष्य में आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जाएगी तथा 106 लाभार्थियों द्वारा भवन पूर्ण या मानक के अनुसार पूर्ण नहीं कर पाने के कारण रू0 3.62 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्तानुसार लाभार्थियों को सम्बन्धित परियोजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 3.62 करोड़ का वहन पूर्व में कार्यक्रम निदेशक, यू0डी0आर0पी0 परियोजना के निवर्तन पर व्यय हेतु रखी गयी धनराशि में से समायोजित किया जाएगा तथा विश्व बैंक को प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किये गये दावे की धनराशि में नियमानुसार पुस्तिकित (Book adujustment) किया जाएगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०पत्र संख्या- 208NP /XXVII(5) /2016-17 दिनांक 04 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या- (1) /XVIII-(2)/2016-16(05)/2013 TC, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को मन्त्रिमण्डल की बैठक दिनांक 21.12.2016 के क्रम में प्रेषित।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त/कुमाऊ गढ़वाल मण्डल।
- 5- समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 6- राज्य सूचना अधिकारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव